फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– **अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 67 सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.08.2019	(see below)	

19.08.2019

यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी ताराचन्द पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम छापर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में नया खाता खंख्या 127 पुराना खाता संख्या 105 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सारू पुत्री कुशला जाति जाट निवासी छापर तहसील सुजानगढ दर्ज है। जो गलत है। वादी का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम ताराचन्द पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी छापर तहसील सुजानगढ है। वादी का नाम ताराचन्द पुत्र कुशलाराम किया जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में वादी का नाम सारू पुत्री कुशला जाति जाट निवासी छापर दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र के अनुसार वादी का सही नाम ताराचन्द पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी छापर तहसील सुजानगढ है, जो शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में नया खाता संख्या 127 पुराना खाता संख्या 105 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	छापर	127 / 105	सारू पुत्री कुशला जाति जाट निवासी छापर	ताराचन्द पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी छापर

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19-8-19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ